राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 37 | जुलाई - सितम्बर 2011 | सीमित प्रसार के लिए

सम्पादकीय राज्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी

जैसा कि आप जानते हैं देश तथा राज्य सरकारें 12 वीं पंचवर्षीय योजना बनाने में लगी हुई है। योजना आयोग इसके लिये देश के कई भागों में राज्य सरकारों के साथ बैठकें कर चुका है। राजस्थान सरकार ने राज्य के आयोजना विभाग को इस मामले में सलाह तथा सहयोग देने के लिये राज्य आयोजना समिति का गठन किया है। कुछ महीनों पूर्व राज्य आयोजना समिति ने 11वीं पंचवर्षीय योजना का मध्य कालिक समीक्षा किया था तथा अब 12 वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टि पत्र लाने वाली है।

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र ने जून में राज्य की स्वयं सेवी संस्थाओं की बैठक बुलाई तथा कृषि, जल एवं सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकेन्द्रीकृत आयोजना तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उपयोजना पर चर्चा कर उनकी चिंताए तथा सुझाव सुनने के प्रयास किये।

इस विचार–विमर्श में एक महत्त्वपूर्ण चिंता विकेन्द्रीकृत आयोजना के संदर्भ में उठी। वर्तमान में जब केन्द्र तथा राज्य सरकारें आगामी 5 वर्ष (2012–17) के लिये अपनी योजनाएं बना रही हैं तब पंचायतों को ऐसा करने के लिये क्यों नही कहा गया है। यदि पंचायत तथा शहरी निकाय अपनी योजनाएं केन्द्र तथा राज्यों की योजनाएं बनाने के बाद बनाएंगे तो उनके द्वारा उठाए गये मुद्दों तथा कार्यक्रमों को राज्य या केन्द्र की आयोजना में कैसे शामिल किया जायेगा। इस विचार–विमर्श से निकली चिंताओं तथा सुझावों को राज्य आयोजना समिति, राज्य सरकार के आयोजना विभाग तथा अन्य संबधित विभागों को भेजा गया है। इस अंक में हमने इन सुझावों तथा चिंताओं को भी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है।

सरकार जल्दी ही बी.पी.एल. परिवारों की पहचान करने तथा जातिवार जनगणना की कवायद एक साथ शरू करने वाली है। बजट समाचार के इस अंक में बी.पी.एल. सर्वे पर सविस्तार चर्चा की गई है, ताकि हम इसकी प्रक्रिया पूरी तरह समझ सकें। क्योंकि केन्द्र तथा राज्य सरकार के कई कार्यक्रम एवं योजनाएं सिर्फ उन परिवारों के लिये होती हैं, जिनका नाम बी.पी.एल. सूची में शामिल हो। साथ ही, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शासन के विकेन्द्रीकरण तथा विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा मिल रहे बजट राशि पर भी एक आलेख दिया जा रहा है। अब तक राज्य सरकार अपने बजट में पंचायती राज संस्थाओं को देय कुल राशि का विस्तृत विवरण नहीं देती थी। बजट 2011–12 से इसमें काफी सुधार हुआ है, तथा अब प्रत्येक जिला परिषद को राज्य सरकार से मिलने वाली राशि का विस्तृत विवरण उपलब्ध है, जो इन स्वशासी इकाईयों द्वारा आयोजना बनाने तथा सुचारू विकास कार्य चलाने में काफी सहायक होगा। परन्तु किसी एक पंचायत समिति या किसी एक ग्राम पंचायत को मिलने वाली राशि का विवरण अभी भी उपलब्ध नहीं है।

बजट समाचार के इस अंक में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत समुदाय निगरानी तथा खुला कोष की जानकारी वाला एक लेख भी दिया गया है। आशा है बजट समाचार का यह अंक आपको रूचीकर एवं उपयोगी लगेगा। कृपया अपने विचार एवं सुझाव हमें अवश्य लिखें।

राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना पर गैर सरकारी संस्थाओं के विचार–विमर्श में उभरी चिंताएं एवं सुझाव, जून 29–30, 2011

वर्तमान में राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। राज्य आयोजना समिति (स्टेट प्लानिंग बोर्ड) ने राज्य के सभी संभागों में संभाग स्तरीय बैठकें करके क्षेत्रिय एवं संभागीय मुद्दों/समस्याओं की पहचान करने की कोशिश की है। तथा जल्द ही राज्य आयोजना समिति, राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना को लेकर अपना दृष्टिकोण पत्र जारी करने वाली है। इस संदर्भ में बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र ने जून 29–30, 2011 को राज्य भर की स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श का आयोजन किया। इस विचार–विमर्श बैठक में निम्न मुद्दों/मांगों को उठाया गया तथा कुछ सुझाव रखे गये।

प्रक्रिया

- आयोजना बनाने की प्रक्रिया को अधिक सहभागी बनाया जायें।
- आयोजना बनाने के लिये कार्य समुहों (Working Groups) का गठन किया जा सकता है

प्रारूप एवं दृष्टि

- आयोजना के प्रारूप में भी बदलाव लाया जा सकता है। राजस्थान जैसे राज्य में अकाल पर एक अध्याय शामिल किया जा सकता है।
- नीचे से ऊपर आयोजना (Planning from Below) या विकेन्द्रीकृत आयोजना (Decentralized Planing) को अपनाया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत तैयार किये गये जिला कृषि योजना तथा जिला आयोजना समिति द्वारा तैयार किये गये जिला विकास आयोजना को राज्य आयोजना में समाहित किया जाना चाहिये।

कृषि

- छोटे एवं सीमान्त किसानों को अलग समूह के तौर पर चिन्हित कर उनके लिये अनुकुल नीति बनाई जाये।
- राज्य कृषि नीति राज्य की विशिष्ट स्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए जिसमें राज्य के कृषि–जलवायु क्षेत्रों (Agro-climatic Zones) का ध्यान रखा जाये।
- खाद व बीज वितरण उचित समय पर, जब आवश्यक हो, होना चाहिये।
- खराब बीज के कारण खराब होने वाली फसल का किसानों को मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- राज्य में खारे पानी की बाहुल्यता वाले जिलों में किसानों को उसके अनुसार फसल उत्पादन हेतु जानकारी दी जानी चाहिए
- सीमांत व छोटे किसानों हेतु कृषि ऋण प्रक्रिया को सरल, सुविधाजनक व आसान बनाया जाना चाहिये।

शेष पृष्ठ 4 पर

राज्य बजट में पचायतों को देय राशि की अधूरी जानकारी

हमारी पंचायतीराज व्यवस्था तीन आधारों पर टिकी हुई है। त्रि–स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था में जिला स्तर पर जिला परिषद, तहसील स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कार्य कर रही हैं। देश में पंचायतीराज के जनक राजस्थान में पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए समय–समय कई कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों पंचायतीराज विभाग में हस्तांतरित 16 विभागों में से पांच विभागों का पूर्ण रूप से पंचायतीराज विभाग में विलय कर दिया। पंचायतीराज संस्थाओं को ये पांच विभाग मय बजट, कार्य तथा कार्मिक रूप से हस्तांतरित किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने हाल ही में पंचायतीराज विभाग को आवंटित बजट में स्पष्टता लाने के लिए कई परिवर्तन किए हैं। पंचायतीराज विभाग को आवंटित बजट का सही व स्पष्ट विवरण प्राप्त करने के लिए यह फेरबदल किया गया है।

लघु शीर्ष खोले, लेकिन सूचना अधूरी

चालू वर्ष 2011–12 से पहले राज्य सरकार द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को जो बजट राशि आवंटित की जाती थी उसकी सूचना राज्य सरकार की बजट पुस्तिका में आय व्यय अनुमान – 9 के माध्यम से दी जाती थी। इस पुस्तिका में केवल जिला परिषद तथा पंचायत समिति को दी जाने वाली इकाई राशि की सूचना उपलब्ध होती थी, लेकिन किस जिला परिषद और पंचायत समिति को किस मद में कितनी धनराशि आवंटित की गई है, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं होती थी। इसके अलावा पंचायतीराज व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी ग्राम पंचायतों को किस मद में कितनी राशि दी गई है, इसका तो कहीं भी उल्लेख नहीं होता था।

जिला परिषदों और पंचायत समितियों के लिए आवंटित राशि की जानकारी के लिए लघु शीर्ष निर्धारित किए गए हैं। जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए निर्धारित लघु शीर्ष क्रमश : 196 और 197 हैं। ग्राम पंचायतों के लिए पहले लघु शीर्ष निर्धारित नहीं थे, लेकिन इस साल राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए लघु शीर्ष 198 घोषित कर दिया है। इस वर्ष के बजट में इन लघु शीर्षों के अंर्तगत आवंटित राशि का विवरण विस्तार से मुख्य बजट के साथ साथ बजट पुस्तिका में भी उपलब्ध कराया गया है।

चालू वर्ष 2011–12 से राज्य सरकार ने बजट राशि हस्तांतरण में पारदर्शिता लाने तथा बजट राशि वितरण की सूचना उपलब्ध करवाने के लिए पहले की प्रक्रिया में परिवर्तन किया है। राज्य सरकार ने अब जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्राम पचायतों को किस जिले के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है तथा किस जिला परिषद को कितनी राशि जारी की जा रही है, इसका पूरा विवरण उपलब्ध करा दिया है। परिवर्तन के बावजूद अभी भी केवल यही सूचना प्राप्त हो पा रही है कि किसी जिले की सभी पंचायत समितियों तथा ग्राम पचायतों को सामूहिक रूप से कितनी राशि जारी की जा रही है, लेकिन यह पता लगाना अभी भी असंभव है कि किसी एक विशेष पंचायत समीति तथा ग्राम पंचायत को कुल या किसी विशेष मद में कितनी राशि दी जा रही है।

लघु शीर्ष लघु शीर्ष का विषय

196 – जिला परिषदों को सहायता
197 – ब्लॉक पंचायतों को सहायता
198 – ग्राम पंचायतों को सहायता

कुछ अन्य लघु शीर्ष, जिनके अंतर्गत पंचायतों को बजट दिया गया है।

101 – पंचायती राज
102 – मेवात क्षेत्र का विकास
103 – मगरा क्षेत्र का विकास
789 – अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संधटक
796 – जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
800 – अन्य व्यय

सारणी संख्या – 1

पिछले पांच साल में पंचायतों को आवंटित राशि का लेखा–जोखा

राशि करोड़ रुपए में

क्र.सं.	वर्ष	राज्य का कुल बजट	पंचायतीराज को आवंटित	राज्य के कुल बजट का प्रतिशत
1	2007–08 संशेधित	37816.69	2355.42	6.22
2	2008–09 संशेधित	43133.23	3307.27	7.67
3	2009–10 संशेधित	48749.82	4481.69	9.19
4	2010–11 अनुमानित	57090.29	3896.52	6.83
5	2011–12 अनुमानित	63998.82	11614.95	18.15

स्रोत – बजट पुस्तिकाएं और विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन

सारणी संख्या – 1 का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि चालू वर्ष 2011–12 में राज्य सरकार ने कुल बजट राशि का 18.15 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रस्तावित किया है। यानि राज्य के कुल बजट 63998.82 करोड़ रुपए में से पंचायतीराज संस्थाओं के लिए 11614.95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए है। यदि पूर्व के वर्षों का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होगा कि वर्ष 2007–08 में राज्य की कुल बजट राशि का 6.22 प्रतिशत हिस्सा पंचायतीराज संस्थाओं के लिए स्वीकृत किया गया था तथा वर्ष 2008–09 में कुल बजट राशि का लगभग 7.67 प्रतिशत बजट पंचायतीराज संस्थाओं के लिए आवंटित किया गया। इसी बढोतरी के क्रम मे वर्ष 2009–10 में कुल बजट राशि का लगभग 9.19 प्रतिशत हिस्सा स्वीकृत किया गयां तथा वर्ष 2010–11 में इसमें थोड़ी गिरावट के साथ पंचायतीराज संस्थाओं का बजट कुल राज्य बजट का 6.83 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया। पंचायती

शेष पृष्ठ 4 पर

बी.पी.एल. सर्वे 2011 – एक परिचय

जयपुर। देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या पता लगाने के लिए इस साल एक बार फिर सर्वे कराया जाएगा। केंद्र सरकार पिछले 17 सालों में तीन बार बी.पी.एल. सर्वे करा चुकी है। 30 जून से 31 दिसंबर के बीच होने वाले इस सर्वे में बी.पी.एल. परिवारों की संख्या पता लगाने के साथ ही जाति आधारित जनगणना भी की जाएगी। जातीय जनगणना के अलावा इस साल होने वाले इस सर्वे की खास बात यह है कि इसमें पहली बार शहरी क्षेत्र के बी.पी.एल. परिवारों का भी सर्वे किया जाएगा।

- **गरीबों के साथ होगा जातियों का सर्वे**
- **पंचायतों को रखा जायेगा बी.पी.एल. सर्वे से दूर**
- **2004-05 के आंकड़ों के आधार पर होगा गरीबों का चयन**
- **गांवों में 12 रुपए और शहरों में 20 रुपए प्रतिदिन खर्च करने वाले माने जाते हैं गरीब**

देश तथा राज्यों में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसका अनुमान योजना आयोग द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर यह काम किया जाता है। योजना आयोग के नवीनतम अनुमान के अनुसार देश में वर्ष 2004–2005 में 37.2 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवप यापन कर रही है। राजस्थान में 34.4 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बीता रही है।

हांलाकि, योजना आयोग के इन आंकडों की सच्चाई को लेकर हमेशा ही विवाद रहता है, लेकिन देश में केवल गरीबी का प्रतिशत मालूम होना काफी नहीं है। इसलिए देश में कौन गरीब है इसकी पहचान करने के लिये बी.पी.एल. सर्वे किया जाता है। योजना आयोग की ओर से चिन्हित किए गए इन परिवारों को बी.पी.एल. परिवार कहते हैं। केंद्र व राज्य सरकारों के कई कार्यक्रमों का लाभ भी केवल उन्ही परिवारों को मिलता है जो बी.पी.एल. परिवार के रूप में चिन्हित किए गए हैं।

केन्द्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय बी.पी.एल. परिवारों की पहचान करने के लिए 1992, 1997 और 2002 में बी.पी.एल. सर्वे करवा चुका है। अब एक बार फिर बी.पी.एल. सर्वे करवाने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। वर्ष 2009–10 में प्रारम्भिक नमूने के तौर पर 254 गाँवों में पायलट सर्वे करवाया जा चुका है तथा अब बी.पी.एल. सर्वे 2011 को सम्पूर्ण देश में प्रारम्भ किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा इस सर्वे का कार्यक्रम 30 जून 2011 से 31 दिसम्बर 2011 तक रखा गया है। राजस्थान राज्य में इस सर्वे के लिए 30 नवम्बर से 16 दिसम्बर तक का समय निर्धारित किया गया है। इस सर्वे की दो मुख्य विशेषताऐं हैं: पहला, इस सर्वे में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में भी बी.पी.एल. सर्वे किया जायेगा तथा दूसरा, इस सर्वे में बी.पी.एल. के साथ–साथ पहली बार जाति आधारित जनगणना भी की जाएगी। काबिलेगौर है कि सरकार ने इस वर्ष जनगणना में जातिवार सूचना एकत्रित करने का निर्णय किया है, जिसे इस बी.पी.एल. सर्वे के साथ पूरा किया जाएगा।

बीपीएल सर्वे 2011 को क्रियान्वित करवाने की जिम्मेदारी केंद्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन एवं शहरी गरीबी निस्तारण मंत्रालय तथा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को सौंपी गई है। केंद्रीय स्तर पर इस सर्वे का क्रियान्वयन, मार्गदर्शन, निगरानी व नियंत्रण उपरोक्त विभागों के द्वारा ही किया जाएगा।

राज्य स्तरीय प्रशासन – राजस्थान में इस सर्वे को क्रियान्वित करने के लिए राज्य स्तर पर एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। इसके लिए राज्य स्तर पर पंचायतीराज, ग्रामीण विकास विभाग को नोडल ऐजेंसी नियुक्त किया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (पंचायतराज व ग्रामीण विकास विभाग) को नोडल अधिकारी बनाया गया है। शहरी क्षेत्रों के लिए प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एंव आवासन विभाग को सम्पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इसके अलावा लगभग सभी विभागों के शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव समन्वय समीति के सदस्य रहेंगे।

जिला स्तरीय प्रशासन – जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को इस सम्पूर्ण प्रकिया मे प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और जाति गणना अधिकारी (पीएसओ) नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ही इस सर्वे कार्यक्रम का जिला स्तर पर समन्वय, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी अधिकारी होगा। साथ ही जो शहरी क्षेत्र बड़े आकार के हैं वहां नगर निगम के आयुक्त भी सहयोग के लिए अतिरिक्त प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और जातिगत गणना अधिकारी (एपीएसओ) होंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर तथा जिला राजस्व अधिकारी को जिला स्तर पर जिला सामाजिक, आर्थिक और जातिगत गणना अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है, तथा बडे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम के उप–आयुक्त को जिला सामाजिक, आर्थिक और जातिगत गणना अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों जैसे जिला शिक्षा अधिकारी, जिला वन अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी को अतिरिक्त/ सहायक सामाजिक, आर्थिक और जातिगत गणना अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

ब्लॉक स्तरीय प्रशासन – उपखण्ड स्तर पर विकास अधिकारी को बी.पी.एल. सर्वे 2011 के लिए जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त किया जायेगा, तथा नगरीय क्षेत्रों में सहायक उपायुक्त/राजस्व अधिकारी/ वार्ड अधिकारी को शहरी क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

धरातलीय कार्य – क्षेत्र के स्तर पर सुपरवाइजर के पद पर वरिष्ठ अध्यापक, प्रधानाध्यापक, कॉलेज व्याख्याता को नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक सुपरवाईजर को छह ब्लॉक के कार्य पर निगरानी व नियंत्रण रखना होगा। इस सर्वे का वास्तविक कार्य सर्वेयर करेंगे। एक सर्वेयर को 125 से 150 परिवार या 600 जनसंख्या वाले अधिकतम चार क्षेत्र सर्वे के लिए आवंटित किए जाएंगे। कोई भी सरकारी कर्मचारी सर्वेयर के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। सर्वेयर के पद पर मुख्य रूप से उसी क्षेत्र के व्यक्ति को नहीं लगाया जायेगा।

हर स्तर पर इस सर्वे से जुडे व्यक्तियों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। इस सर्वे कार्यक्रम में सर्वेयर का कार्य घर घर घूमकर सर्वे करना रहेगा और वे एक पूर्व निर्धारित सर्वे प्रपत्र में सूचना प्राप्त करेंगे। इस सर्वे प्रपत्र के द्वारा निम्न बिन्दुओं के संबंध में सूचना प्राप्त करनी होगी।

भाग – 1

इस भाग में निम्न सूचनाऐं संकलित की जाएंगीं।

1. – पहचान ब्यौरा
2. – क्या परिवार नेशनल पोपुलेशन रजिस्टर में शामिल किए गए हैं
3. – व्यक्तिगत ब्यौरा

भाग – 2.1

इस भाग में निम्न सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी।

– मकान के विवरण के संबंध में सूचना

– घर के सदस्यों के संबंध में विवरण

– व्यवसाय व आय का विवरण

– घरेलू सामानों का विवरण

– अन्य भूमि (रहने योग्य तथा खेती योग्य) तथा सुविधाजनक तथा कृषि योग्य सामानों का विवरण

भाग 2.2 – जाति, धर्म के संबंध में अनिवार्य सूचना विवरण

जाति आधारित विवरण – जाति आधारित सूचना के विवरण के लिए निश्चित कोड दिये गये हैं जैसे – सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग। जाति के साथ ही धर्म से संबंधित सूचना भी एकत्रित की जाएगी जैसे अनुसूचित जाति केवल हिन्दू, सिक्ख या बौद्ध ही हो सकता है, जबकि अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म से संबंधित हो सकती है। यदि कोई उत्तरदाता किसी भी वर्ग में नहीं आता है, तो उसकी जाति का विवरण अलग से दर्ज किये जाने के लिए भी कॉलम में स्थान दिया गया है।

बीपीएल चिन्हित करने के आधार – इस प्रस्तावित सर्वे में केन्द्र सरकार द्वारा बी.पी.एल. परिवारों की पहचान करने के उददेश्य से 3 मुख्य मापदंड निर्धारित किये है

(1) अनिवार्य शामिल (2) स्वतः वंचित (3) क्रम निर्धारण।

अनिवार्य शामिल (Compulsorily Included)– इस प्रक्रिया में ऐसे कुछ मापदंड़ निर्धारित किये गये है जिनके आधार पर कुछ परिवार अनिवार्य रूप से शामिल किये जायेंगे।

– वे परिवार जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है।

– वे परिवार जो निराश्रित है तथा भिक्षावृति पर जीवित रहते हैं।

– सिर पर मैला ढोने वाले (Manual Scavengers)

– वे परिवार जो आदिम आदिवासी समूह के सदस्य हैं।

– वे परिवार जो कानूनी रूप से बन्धुआ मजदूरी से आजाद हुये हैं।

स्वतः वंचित (Automatic Excluded) –

इस प्रकिया के दौरान जानकारी लेने पर कुछ परिवार स्वतः ही वंचित हो जाएंगे। इसके मुख्य बिन्दु निम्न है।

– ऐसे ग्रामीण परिवार जिनमें कोई एक सदस्य भी एक माह में 10,000 रुपए से अधिक आय प्राप्त करता है।

– वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता हो या फिर सरकारी सहयोग से संचालित संस्थान में कार्यरत है।

– वे परिवार जिनके घर पर कोई बेसिक फोन या रेफ्रिजरेटर है।

– वे परिवार जो आयकर तथा व्यवसाय कर अदा करते हैं।

– जिन परिवारों के नाम कोई उद्योग धंधा पंजीकृत हो।

– वे परिवार जो तीन कमरों के पक्का मकान में रहते हो।

– वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड से अधिक सिंचित भूमि हो तथा सिंचाई करने के लिए उनके पास कम से कम एक उपकरण हो जैसे– डीजल/बिजली का कुआं या टयूबवैल आदि।

– वे परिवार जो दो या अधिक फसली मौसम वाली पांच एकड या उससे अधिक सिंचित भूमि रखते हों।

– वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड या उससे अधिक भूमि हो और वे कम से कम एक सिंचाई का साधन रखते हों।

– वे ग्रामीण परिवार जो 50,000 रुपए की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड रखते हैं।

– वे परिवार जो मशीनी फिशिंग बोट या कोई भी दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहन रखते हों, जिनका पंजीकरण करवाना पड़ता है।

– वे परिवार जो तीन, चार पहियों वाले कृषि मशीन जैसे – ट्रेक्टर, हार्वेस्टर आदि रखते हों।

क्रम निर्धारण (Ranking) – उपरोक्त दो श्रेणियां (स्वतः शामिल तथा स्वयं वंचित) के परिवारों के अलावा जो परिवार हैं उन्हे निम्न वंचित सूचकों के आधार पर क्रमबद्ध किया जायेगा।

– वे परिवार जिनके एक कमरा कच्ची दीवारों तथा छत वाला हो।

– वे परिवार जिनके 16 से 59 वर्ष का कोई वयस्क सदस्य नहीं हो।

– वे महिला प्रधान परिवार जिनके कोई 16 से 59 वर्ष की आयु का पुरूष सदस्य ना हो।

– वे परिवार जिनमें कोई विकलांग सदस्य हो तथा कोई अन्य साधारण स्वस्थ वयस्क सदस्य ना हों

– वे परिवार जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति से संबंधित हो।

– वे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई शिक्षित सदस्य ना हो।

– वे भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का अधिकतम भाग आकस्मिक मजदूरी से प्राप्त कर रहे हों

इन वंचित सूचकों के आधार पर सभी परिवारों को 0–7 अंक दिए जाएंगे। स्वतः शामिल परिवारों के बाद, इन वंचित सूचकों के आधार पर सर्वाधिक अंक (7) पाने वाले परिवारों को ऊपर रखते हुए क्रमशः कम अंक पाने वाले परिवारों की सूची बनाई जाएगी। इस सूची के आधार पर स्वतः शामिल परिवारों तथा वंचित सूचकों के आधार पर सर्वाधिक अंक पाने वाले परिवारों को प्राथमिकता देते हुए बी.पी.एल. सूची बनाई जाएगी।

किस राज्य में कितने प्रतिशत परिवार बी.पी.एल. सूची में होंगे इसका निर्धारण उस राज्य में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत 2004–05 में गरीबी के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। योजना आयोग के अनुसार राजस्थान में 2004–05 में 34.4 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अतः यहां बी.पी.एल. परिवारों का प्रतिशत इसी अनुपात में तय होगा।

वंचित सूचकों के अनुसार यदि किसी राज्य में किसी एक अंक तक (उदाहरण के लिये 3 या 4) तक के परिवारों को लेने के बाद भी यदि बी.पी.एल. परिवारों की संख्या राज्य के गरीबी के प्रतिशत से कम है तो उसके बाद दलित या आदिवासी बहुल पंचायतों के परिवारों, जिन्हें उक्त से एक अंक कम मिला है, लेकर पूरा किया जायेगा।

निष्कर्ष के बतौर कहा जा सकता है कि यह बी.पी.एल. सर्वे पूरी तरह से तकनीकी सर्वेक्षण होगा जिसमें परिवारों से इक्कट्ठा किए गए आंकडों की शुद्धता अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगी। यदि जुटाए गये आंकडों में खामियां रहेंगी तो बी.पी.एल. सूची में भी गलतियां होने की संभावना रहेगी। बी.पी.एल. परिवारों का प्रतिशत योजना आयोग द्वारा जारी किए गए गरीबी के प्रतिशत के बराबर रखा जाना भी चिंताजनक है। उल्लेखनीय है कि योजना आयोग ने गांवों में 12 रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग तथा शहरों में 20 रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के उपभोग (खर्च) को गरीबी रेखा माना है जो इस आसमान छूती महंगाई के दौर में बहुत कम है। सर्वोच्च न्यायालय भी इस अत्यंत निम्न तथा बेतुके गरीबी रेखा पर चिंता जता चुका है। अतः सवाल यह उठता है कि गरीब परिवारों की पहचान उसी गरीबी रेखा के आधार पर की जानी कितनी न्याय संगत होगी। इस वर्ष बी.पी.एल. सर्वे से पंचायतों को दूर रखा जाना भी समझ से परे है।

दम तोड़ती ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं

राजस्थान के जोधपुर जिले में कुछ दिन पहले हुई 25 से ज्यादा प्रसूताओं की मौत ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर को झकझोर कर रख दिया। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल में 2–3 माह की अवधि में ही करीब 25 प्रसूताओं की मौत हो गई। हालांकि इन दोनों अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत के लिए संक्रमित ग्लूकोज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन यह मामला ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी की तो पोल खोल देता है। ग्रामीण अस्पतालों में प्रसूति सुविधाओं के अभाव के कारण इन महिलाओं को पहले तो जिला अस्पतालों में रैफर किया गया तथा वहां से संभागीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा भवनों का अभाव, चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी और दूर–दराज के क्षेत्रों में एंबुलेंस सुविधाओं का नहीं मिल पाना चिकित्सातंत्र की कमियों को उजागर करता है।

- **एन.आर.एच.एम. समाप्ति की ओर, खामियों की है अभी भी भरमार**
- **राजस्थान को कब मिलेगी मातृ एवं शिशु मृत्यु दर से निजात**
- **एन.आर.एच.एम.में खुले कोष की व्यवस्था**
- **मिशन में सामुदायिक भागीदारी तथा सामुदायिक निगरानी पर जोर**

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन :

ऐसा भी नहीं है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकारी स्तर पर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार के द्वारा राज्यों में स्वास्थ्यगत सुधारों के लिए अनेक योजनाएं एवं अभियान चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के रुप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने एवं इन सेवाओं के संरचनात्मक ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर 7 वर्ष की अवधि के लिए (वर्ष 2005 से 2012 तक) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की गई थी। मिशन का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण स्वास्थ्यगत सेवाओं में सुधार करना, आम जन तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना एवं स्वास्थ्य से जुड़े अन्य आयामों जैसे – स्वच्छता, पानी, पोषण इत्यादि में समन्वय स्थापित करने के साथ–साथ चिकित्सा की अन्य पद्वतियों जैसे–आयुर्वेद, यूनानी, सिद्वा एवं होम्योपैथी (आयूष) को बढ़ावा देना एवं इन्हे मुख्यधारा से जोड़ना था।

राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन :

राजस्थान की विषम भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के साथ–साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ेपन को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान को मिशन के अंर्तगत शामिल 18 फोकस श्रेणी के राज्यों में शामिल किया गया था। फोकस श्रेणी से तात्पर्य ऐसे राज्यों से है जो कि मिशन के प्रारम्भ होने से पूर्व (वर्ष 2005 में) स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़े हुए थे और उन राज्यों में मिशन के तहत स्वास्थय सेवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए जाने थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि मिशन के प्रारम्भ होने के पश्चात राज्य में लोक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। यही कारण है कि केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से वर्ष 2010 में राज्य को श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत भी किया गया।

राजस्थान में शिशु और मातृत्व मृत्यु दर के हालात :

वर्ष 2005 में जब मिशन प्रारम्भ किया गया, तब राष्ट्रीय स्तर पर (वर्ष 2012 तक) मातृत्व मृत्यु दर लक्ष्य 100 प्रति लाख एवं शिशु मृत्यु दर 30 प्रति 1000 जीवित जन्म तक लाना निर्धारित किया गया था।शिशु मृत्यु दर के मामले में भी राज्य के हालात बहुत खराब हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2010–11 के अनुसार वर्ष 2009 राज्य में शिशु मृत्यु दर 59 प्रति 1000 जीवित जन्म पाई गई जो कि राष्ट्रीय औसत 50 से काफी बदतर है। राज्य के शहरी इलाकों में शिशु मृत्यु दर 35 प्रति 1000 जीवित जन्म है जो कि औसत की तुलना में काफी हद तक ठीक मानी जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में यह 65 प्रति हजार जीवित जन्म के चिन्ताजनक स्तर पर है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2010–11 के अनुसार वर्ष 2006 तक राज्य में मातृत्व मृत्यु दर 388 पाई गई जो कि पूरे देश में उच्च मातृत्व मृत्यु दर वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर है।

राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 'जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण 2009' के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले कुल प्रसवों में मात्र 57 फीसदी प्रसव संस्थानात्मक होते हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा करीब 81 फीसदी है। अर्थात राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 43 प्रतिशत प्रसव गैर संस्थात्मक प्रसव होते है जो कि प्रसूता और नवजात शिशु दोनों के लिए सुरक्षित नहीं कहे जा सकते। इसी कारण मातृत्व एवं शिशु मृत्य दर को बढ़ावा मिलता है। इसके लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में पर्याप्त जानकारी एव जागरुकता का अभाव महत्त्वपूर्ण कारण है, लेकिन राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की कमी भी एक बड़ा कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में अभी भी बहुत सुधार किए जाना बाकी है।

लोगों को अभी तक भी यह जानकारी नहीं है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। कहा जा सकता है कि लोगों में जागरुकता का अभाव भी मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में एक रोड़ा साबित हो रहा है।

मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं :

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर मरीजों की स्वास्थ्यगत समस्याओं की जांच कर यथासंभव निदान करना।
- हॉस्पिटल के लिए सामग्री, फर्नीचर, एंबुलेंस आदि की व्यवस्था करना और चिकित्सालय भवन का विस्तार करना।
- स्वास्थ्य संबंधित अन्य सुविधाओं (जैसे साफ–सफाई, जांच उपकरण आदि) में निजी क्षेत्र की सहायता से विस्तार करना।
- चिकित्सालय की सुविधाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और उनमें विस्तार करने के लिए सामुदायिक हिस्सेदारी को बढ़ावा देना।

इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम स्तर पर एक्रीडेटेउ सोशियल हेल्थ एक्टीविस्ट (आशा) की नियुक्ति की गई है जो कि जनसमुदाय और लोक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच कड़ी के रुप में कार्य करती है। मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार आशा को पांच अवधियों में कुल मिलाकर 23 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन : खुला कोष (अनटाइड फंड)

मिशन के लागू होने के छह वर्ष गुजर जाने के बाद भी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के त्रिस्तरीय केन्द्रों (उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) को मिलने वाली खुला कोष की राशि से गांवों के आम लोग तो अनजान हैं ही बल्कि शिक्षित वर्ग, जन प्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठन भी अनभिज्ञ हैं। चूंकि विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग परिस्थितियों के अनुसार स्वास्थ्यगत समस्याएं एवं उनके अनुरुप आवश्यकताएं हो सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरुप प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को खुले कोष के रुप में क्रमशः 10 हजार रुपए, 25 हजार रुपए एवं 50 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है।

तीनो स्तरों पर खुले कोष के रुप में प्राप्त होने वाली राशि के बारे में कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार हैं:

– उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर खुले कोष के रुप में प्राप्त होने वाली राशि (10 हजार रुपए) एएनएम और गांव के सरपंच के संयुक्त खाते में जमा की जाती है। खुला कोष की राशि कहां पर और कितनी खर्च की जाएगी, इसे ग्राम स्वास्थ्य समिति स्वीकृत करती है और प्रशासनिक तौर पर एएनएम इसे स्वीकृति प्रदान करती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर खुले कोष के रुप में प्राप्त होने वाली राशि (25 हजार रुपए) रोगी कल्याण समिति/अस्पताल प्रबंधन समिति के खाते में जमा की जाती है। यह खाता गांव के सरपंच और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के द्वारा संचालित किया जाता है। इस राशि पर निगरानी का अधिकार पंचायत समिति/रोगी कल्याण समिति को दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन समिति वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी की देखरेख में कार्य करती है। इस राशि के अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 हजार रुपए रखरखाव पर खर्च करने के लिए दिए जाने का प्रावधान है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर खुले कोष के रुप में प्राप्त होने वाली राशि (50 हजार रुपए) रोगी कल्याण समिति/अस्पताल प्रबंधन समिति के खाते में जमा की जाती है तथा इसे खर्च करने का निर्णय भी यही समिति लेती है। केन्द्र द्वारा तिमाही आधार पर रिपोर्ट जिला स्तर पर अधिकारियों को भेजी जाती है। खाते पर निगरानी का अधिकार संबंधित जिला और राज्य स्तर के विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। खुला कोष के अंर्तगत खर्च की जाने वाली राशि वैयक्तिक तौर पर खर्च न किए जाकर (आपातकालीन परिस्थतियों में रैफरल और परिवहन पर किए जाने वाले खर्चे को छोड़कर) संयुक्त रुप से काम आने वाली सामग्री पर व्यय किए जाने का प्रावधान है, लेकिन विडम्बना यह है कि वर्ष 2008–09 में भी अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्रों तक यह राशि नहीं पहुंची तथा जहां पहुंची वहां इसका ठीक से उपयोग नहीं हो सका।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रिपोर्ट :

वर्ष 2008–09 के दौरान देश में 49 प्रतिशत उपस्वास्थ्य केन्द्रों को खुले कोष के रुप में राशि नहीं मिली जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 36 प्रतिशत एवं 42 प्रतिशत है। जिन केन्द्रों को यह राशि प्राप्त हुई उनमें अधिकांश द्वारा इस राशि का उपयोग मुख्यतः बैठकों का आयोजन, टेलिफोन एवं बिजली के बिलों का भुगतान, कार्यालयों के रखरखाव, दवाईयों की खरीद और मरीजों की सुविधाओं के विकास पर कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश अधिकारी खुले कोष के रुप में मिलने वाली राशि के उपयोग के दिशा निर्देर्शों से अनभिज्ञ पाये गये। अतः इस बात पर आवश्यक रुप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि खुले कोष के रुप में केन्द्रों को प्राप्त होने वाली राशि का अधिकतम सदुपयोग हो सके।

कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं :

- खुले कोष के रुप में प्राप्त होने वाली राशि की व्यय प्रक्रिया सरल, संक्षिप्त एवं पारदर्शी होनी चाहिए।
- प्राप्त राशि की निगरानी के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस कोष से प्राप्त राशि का एक अथवा दो मदों पर ही सम्पूर्ण खर्च नहीं किया जाना चाहिए बल्कि विभिन्न मदों पर आनुपातिक रुप से खर्च किया जाना चाहिए।
- केन्द्रों पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों तथा क्षेत्र के अधिकारियों को इस राशि के उपयोग संबंधित दिशा निर्देशों की जानकारी विभाग के वेबसाइट पर दिए जाने के साथ ही यह भी आवश्यक है कि ये लोग स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्यगत समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ हों ताकि प्राप्त राशि का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।

सामुदायिक निगरानी :

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में एक और महत्त्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए। यह विषय इसलिए भी जरुरी है क्योंकि यह जन निगरानी से जुड़ा मुद्दा है जिसे मिशन में सामुदायिक निगरानी के नाम से जाना जाता है। सामुदायिक निगरानी के तहत ग्रामीण स्तर पर गठित की जाने वाली रोगी कल्याण समिति सामुदायिक निगरानीकर्ता की भूमिका निभाती है जो कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में पंचायतीराज संस्थाओं के साथ साथ जनभागीदारी को भी सुनिश्चित करती है। एनआरएचएम के दिशा निर्देर्शों के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर रोगी कल्याण समिति/अस्पताल प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा। समिति के सदस्यों में स्थानीय पंचायतीराज निकायों (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) के सदस्यों के अलावा सामाजिक संगठन, स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के अधिकारियों को शामिल किए जाने का प्रावधान है। समिति के प्रमुख उद्वेश्यों में स्थानीय स्वास्थ्यगत समस्याओं के निराकरण के लिए उपलब्ध संसाधनों का विकास, समुचित प्रबंधन एवं क्रियान्यवन में पारदर्शिता बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त समिति के मुख्य कार्यों में स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों एवं शिकायतों का उचित समयावधि में निराकरण करवाना, चिकित्सालय भवन का निर्माण एवं विस्तार करवाना, चिकित्सालय भूमि का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना, मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए वाजिब दामों में भोजन, दवाईयों, पानी और सफाई व्यवस्था का प्रबंध करवाना आदि शामिल हैं।

सरकारी रिर्पोट के अनुसार तीनों स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी कल्याण समिति का गठन बहुत कम पाया गया है और जहां पर इस समिति का गठन पाया गया है, वहां अनेक कमियां पाई गई हैं, जिनमें रोगी कल्याण समितियों की सीमित भूमिका, समिति के गठन में जनभागीदारी बहुत कम होना, समिति के सदस्यों के नाम एवं बैठकों में लिये गए निर्णयों के बोर्ड का सार्वजनिक न होना आदि शामिल हैं।

अगले वर्ष तक मिशन का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन इसमें अभी भी कई खामियां हैं जिनमें सुधार किए जाना बाकी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में व्याप्त खामियों में सुधार के लिए इसमें जनभागीदारी होना बहुत आवश्यक है, जिसमें विशेष रुप से पंचायतीराज संस्थाओं और जनसंगठनों को भागीदार बनाया जाना चाहिए। हालांकि, वर्ष 2012 में यह मिशन समाप्त हो रहा है फिर भी यह आशा की जा सकती है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपेक्षित सुधारों के प्रयास जारी रहेंगे तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में खुला कोष, सामुदायिक भागीदारी एवं सामुदायिक निगरानी के अभिनव प्रयोग को सरकार आगे भी बनाये रखेगी।

राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय ...पृष्ठ 1 का शेष

- फसल बीमा की राशि के समय पर भुगतान को सुनिश्चित किया जाये।
- कृषि को बढावा देने के लिए विदेशी बीज कंपनियों के बजाय स्थानीय संस्थाओं और संसाधनों को बढावा दिया जाना चाहिए।
- कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग पर रोक लगानी चाहिये।
- भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को जनहितकारी बनाया जाना चाहिये तथा कृषि भूमि के अधिग्रहण को न्युनतम रखा जाना चाहिये।
- निजी उद्योगों के लिये सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाये।

जल व सिंचाई

- जल संरक्षण हेतु पुराने बांधों, एनीकट तथा तालाबों आदि के रख रखाव (Maintenance) पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- जल दोहन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, इसमें सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अलग–अलग संसाधनों, रहन सहन के स्तर, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनके अनुरुप जल नीति बनाई जानी चाहिए।

ऊर्जा

- सौर तथा पवन जैसे वैकल्पिक उर्जा स्रोतों को सरकारी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए एवं लोगों में इसके प्रति जागरुकता पैदा की जानी चाहिए।

शिक्षा

- शिक्षा का अधिकार कानुन को लागू किया जाना।
- प्रत्येक तहसील स्तर पर केन्दीय विधालय की तर्ज पर एक उच्च माध्यमिक स्कूल होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के विद्यालय तक आने जाने हेतु सुरक्षित परिवहन सुविधाएं मुहैया करवाई जाए एवं विद्यालय में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों में और अधिक बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएं।
- राज्य की घुमंतु जातियों जैसे कालबेलिया, बंजारा, भोपा, नट, ढ़ोली आदि को शिक्षा से जोड़ने के विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

स्वास्थ्य

- वर्तमान में डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मीयों के पद भरे जायें तथा नये पद सृजित किये जायें।
- ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त डॉक्टरों के लिये सुविधाओं तथा विशेष भत्ते का प्रावधान।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्राथमिक की जांच की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य बीमा का सुधार तथा अधिकाधिक दावा निपटारा के उपाय करना।

बाल अधिकार

- समेकित बाल विकास योजना में रिक्त महिला सुपरवाइजर, परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिये।
- परियोजना अधिकारीयों को घरेलु हिंसा विरोधी कानून के अंर्तगत दिये गये संरक्षा अधिकारी (Protection Officer) के कार्यभार से मुक्त किया जाना चाहिये।
- ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्रों, जिनका अपना भवन नहीं है, उन्हें भवन उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
- सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों एवं संस्थानों की बाल संरक्षण नीति बनवाई जाये।

महिला अधिकार

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून की सफल क्रियान्वयन के लिए अलग से संरक्षण अधिकारियों की पर्याप्त नियुक्ति अतिशीघ्र की जाये।
- कानून को लागू करने के लिए आवश्यक आवश्यक बजट प्रावधानों को दिया जाय।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित दिशा–निर्देशों को लागू किया जाये।
- लगातार घटता लिंगापुपात राज्य के सामने एक बड़ी गंभीर चुनौती हो गया है। इससे निपटने के लिए एक व्यापक साझा रणनीति बनाकर आने वाले दस वर्षों तक सख्ती से लागू किया जाय।
- प्रत्येक जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल की सुविधाओं को बनाया जाय। और उनको आसानी से पहुंच को सुनिश्चित किया जाय एवं इसको शहर में ही बनाया जाय।
- महिलाओं के भूमि के अधिकार का संरक्षण तथा उन्हें लागु करने के उपाय।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं में नियत मापदंडों के अनुसार बजट में राशि आवंटित की जाए। तथा खर्च किया जायें।
- सभी विभागों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति उपयोजनाओं के लिये निर्धारित लघु शीर्ष खोलने चाहिये।
- सभी विभागों को इन दोनों उपयोजनाओं के अन्तर्गत चलाये जा रहे विशेष कार्यक्रमों की जानकारी देना चाहिये।

राज्य बजट में ...पृष्ठ 1 का शेष

राज का वर्तमान बजट अब तक के सर्वाधिक 9.19 प्रतिशत 2009–10 से भी 8.96 प्रतिशत अधिक है।

अतः स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 का पंचायती राज का बजट अन्य वर्षों की तुलना में दो गुना या उससे भी अधिक बढ़ गया है। पंचायतीराज संस्थाओं के बजट में हुई इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण यह है कि अब तक राज्य सरकार केवल जिला परिषद तथा पंचायत समितियों के बजट की सूचना ही दे रही थी, लेकिन इस साल से राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के बजट की सूचना भी देनी आरम्भ की है। अतः ग्राम पंचायतों की बजट राशि जुड़ जाने से वर्तमान बजट राशि अत्यधिक बढ़ गयी है। पंचायतीराज संस्थाओं का बजट एकाएक बढ जाने का एक अन्य कारण पंचायतीराज को पूर्ण रूप से हस्तांतरित पांच नए विभागों की राशि का पंचायतीराज संस्थाओं के बजट में जुड़ जाना भी है।

राज्य के तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2011–12 में आवंटित राशि का विवरण सारणी संख्या – 2 में दिया गया है।

सारणी संख्या – 2
पंचायतीराज संस्थाओं को आवंटित राशि

राशि करोड़ रुपए में

क्र.सं.	पंचायती राज संस्थायें	आयोजना भिन्न मद	आयोजना मद	केन्द्र प्रवर्तित राशि	पं.रा. का कुल बजट	प्रतिशत
1	जिला परिषद	775.23	853.50	84.16	1712.89	14.75%
2	ब्लॉक पंचायत	5829.89	320.61	514.62	6665.12	57.39%
3	ग्राम पंचायत	494.99	1449.92	598.94	2543.84	21.89%
4	विशिष्ट मद'	–	687.76	5.34	693.10	5.97%
	योग	**7100.11**	**3311.79**	**1203.06**	**11614.95**	**100%**

स्रोत – बजट पुस्तिकाएं और वार्षिक प्रतिवेदन

विशिष्ट मद की राशि तीनों स्तरों के पंचायतों को दी गई है।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल प्रस्तावित राज्य बजट में से 18.15 प्रतिशत लगभग 11614.95 करोड रूपये की राशि वर्ष 2011–12 में प्रस्तावित की गयी है। जिसमें जिला परिषद को कुल राशि का 14.75 प्रतिशत हिस्सा, यानि करीब 1712.89 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें 775.23 करोड़ रुपए आयोजना भिन्न मद के अंर्तगत तथा 853.50 करोड़ रुपए आयोजना मद के अंर्तगत और 84.16 करोड़ रुपए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये स्वीकृत किये गये हैं।

इसी प्रकार पंचायत समितियों के लिए कुल स्वीकृत राशि का करीब 57.39 प्रतिशत हिसा आवंटित किया गया है जो कि करीब 6665.12 करोड़ रुपए होता है। इसमें 5829.89 करोड़ रुपए आयोजना भिन्न मद के अंर्तगत तथा 320.61 करोड़ रुपए आयोजना मद के अंर्तगत तथा 514.62 करोड़ रुपए की राशि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये स्वीकृत की गई है।

इसी तरह ग्राम पंचायतों को कुल बजट राशि का करीब 21.89 प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है। यानि ग्राम पंचायतों के लिए 2543.84 करोड़ रुपए वर्तमान वर्ष में व्यय के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें आयोजना भिन्न मद के अंर्तगत 494.99 करोड़ रुपए, आयोजना मद के अंर्तगत 1449.92 करोड रुपए और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 2543.84 करोड़ रुपए की राशि व्यय के लिए निर्धारित की गई है। इसके अलावा विशिष्ट मद में कुल पंचायतीराज बजट की 5.97 प्रतिशत राशि स्वीकृत की गई है जो कि लगभग 693.10 करोड़ रुपए होती है।

विशिष्ट मद में मेवात ,मगरा क्षेत्र विकास ,जनजातीय क्षेत्र उपयोजना अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक तथा पंचायतीराज आदि विषय शामिल हैं। इनके लिए आयोजना भिन्न मद में कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है, जबकि आयोजना मद में 687.76 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है। केन्द्र प्रयोजित योजनाओं के लिए 5.34 करोड़ रुपए वर्तमान वर्ष में व्यय के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इस तरह पंचायतीराज संस्थाओं के लिए चालू वित्त वर्ष 2011–12 में कुल 11614.95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि फिलहाल राज्य सरकार ने बजट में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए आवंटित राशि को पारदर्शी बनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी बजट राशि के हस्तांतरण में पर्याप्त स्पष्टता तथा पारदर्शिता नहीं आ सकी है। अभी भी केवल यही जानकारी प्राप्त हो रही है कि किस जिले की किस जिला परिषद को कितनी राशि प्राप्त हो रही है। किसी एक पंचायत समिति या ग्राम पंचायत को किस मद में कितनी राशि आवंटित की जा रही है यह जानकारी अभी भी उपलब्ध नहीं है।

आपका पन्ना.....

बजट समाचार आपका अपना अखबार है। बजट समाचार में प्रकाशित हर सामग्री पर आप अपनी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। भविष्य में बजट समाचार को आप किस रुप में देखना चाहते हैं तथा किन मुद्दों और विषयों पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरुरत है, इन तमाम पहलूओं पर हमारा ध्यान दिला सकते हैं। बजट समाचार के लिए आपकी ओर से भेजे गए हर सुझाव का हम स्वागत करते हैं। बजट समाचार पर आपकी प्रतिक्रिया, सुझावों तथा टिप्पणियों का स्वागत है।

– बार्क टीम

संपादक – नेसार अहमद व नगेन्द्र सिंह
संपादक मण्डल – मुकेश कुमार बंसल
महेन्द्र सिंह राव, भूपेन्द्र कौशिक
सहयोग – सीताराम मीणा
सलाहकार – डॉ. जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं:

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

बुक पोस्ट

सेवा में,

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

.....

..... पिन कोड.....